मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 01–09/2022/20–1/849 भोपाल, दिनांक 06/06/2025

प्रति,

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र० भोपाल।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म०प्र०।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म०प्र०।
6 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

विषयः–स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण विषयक।

संदर्भः–1– विभाग का पत्र क्र.एफ 01–09/2022/20–1/525 भोपाल दिनांक 03–05–2025

2– लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र कमांक/टीएमसी /टीएमसी–3 /152/2025/106 भोपाल, दिनांक 15.05.2025

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों के अनुक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.3.7 के प्रावधानों में वर्ष 2025 के लिए शिथिलता प्रदान करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैः–

1.1 दिनांक 07.06.2025 से दिनांक 16.06.2025 की अवधि हेतु जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण के अधिकार जिला स्तर पर प्रभारी मंत्रीजी को प्रत्यायोजित किए जाते है।

1.2 जिला स्तर पर स्थानांतरण की अवधि में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों यथा प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान), सहायक शिक्षक (विज्ञान), प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला), इत्यादि, लिपिकीय संवर्ग तथा भृत्य संवर्ग के लोक सेवकों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा।

1.3 विभागीय स्थानांतरण नीति, 2022 के प्रावधानों का पालन करते हुये ऑनलाईन स्थानांतरण आदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से जारी किये जाएंगे। स्थानांतरण आदेश पोर्टल पर जिला कलेक्टर के लॉग–इन से अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर से जारी होंगे। कोई भी आदेश ऑफलाईन जारी नहीं किये जाएंगे।

1.4 10 से कम नामांकन वाली किसी भी शाला में किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

1.5 विभागीय स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.1.5 के अनुसार पारस्परिक स्थानांतरण समान पद एवं विषय होने पर ही किए जा सकेगे किन्तु दिनांक 31.05.2025 से 01 वर्ष की समयावधि में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

1.6 उपरोक्त कंडिका 1.2 में अंकित सवंर्ग को छोडकर, शेष संवर्गों के प्रशासकीय स्थानांतरण यथावत राज्य स्तर से ही किए जा सकेगे।

1.7 विभागीय स्थानांतरण नीति, 2022 के शेष प्रावधानों का पालन करते हुए एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाईन स्थानांतरण आदेश जारी किये जाने हेतु समय–सारणी निम्नानुसार नियत की जाती है:–

1	जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों यथा प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान), सहायक शिक्षक (विज्ञान), प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला), लिपिकीय संवर्ग तथा भृत्य संवर्ग के लोक सेवकों का जिले के भीतर स्थानांतरण किए जाने हेतु शिथिलता की अवधि।	दिनांक 07.06.2025 से 16.06.2025 तक
2	उपरोक्त क्रमांक 1 अनुसार स्थानांतरण हेतु प्रशासकीय प्रस्ताव पोर्टल पर दर्ज करना	दिनांक 07.06.2025 से 14.06.2025 तक
3	ऑनलाईन स्थानांतरण आदेश जारी करना	दिनांक 16.06.2025 तक

2/ जिला स्तर पर स्थानांतरण के दौरान स्थानांतरण नीति, 2022 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन किए जाने हेतु जिलों को विशेष रूप से निम्नानुसार प्रावधानों को निर्देशों में पुर्नउल्लेखित किया जा रहा है जिनका पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए:–

2.1 विभागीय स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3.3.2 के अनुसार प्रशासकीय स्थानांतरण द्वारा संख्यावार तथा विषयवार रिक्तियों को ध्यान में रखकर ही पदस्थापना की जाएगी। पोर्टल पर उपलब्ध रिक्ति पर ही स्थानांतरण किये जा सकेंगे।

2.2 विभागीय स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3.3.3 के अनुसार प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त स्थानांतरण से शाला शिक्षक विहीन न हो जाए। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करने से पूर्व किसी अन्य शिक्षक की पदस्थापना सुनिश्चित की जाएगी।

2.3 विभागीय स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 4.1 के अनुसार जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति में 01 वर्ष या उससे कम समय शेष है तो ऐसे शिक्षकों, अधिकारियों/कर्मचारियों का सामान्यतः प्रशासकीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

2.4 विभागीय स्थानांतरण नीति, 2022 की कंडिका 3.1.6 अनुसार नव–नियुक्त शिक्षकों का स्थानांतरण सिर्फ विशिष्ट शालाओं (सांदीपनी विद्यालय/उत्कृष्ट विद्यालय/मॉडल स्कूल) में ही किया जा सकेगा, अन्य सामान्य शालाओं में पदस्थापना नहीं की जा सकेगी।

2.5 वर्तमान स्थानांतरण की अवधि में दिनांक 07.06.2025 से पूर्व राज्य स्तर से जिन शासकीय सेवकों के प्रशासकीय स्थानांतरण हुए हैं उनको पुनः स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

3/ राज्य स्तर से कंडिका 1.2 में उल्लेखित जिला संवर्गों को छोडकर शेष संवर्गों के प्रशासकीय स्थानांतरण एवं जिला स्तर के उपरोक्तानुसार प्रशासकीय स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 16.06.2025 तक जारी किए जाऐंगे।

06/06/25

(कमल सोलंकी)
उप सचिव
म०प्र०शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0क0 एफ 01—09/2022/20—1/850 **भोपाल, दिनांक 06/06/2025**

प्रतिलिपिः—

1— विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

2— अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

3— उप सचिव, मान0 मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

4— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

5— उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

6— समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।

7— आयुक्त जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, वाणगंगा, भोपाल।

8— तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. म०प्र० भोपाल ।

9— समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

06/06/25

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग